राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:प.2(7)आयो / ग्रुप–2 / 2011 जयपुर, दिनांक 10.02.202

आज्ञा

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से गैर सरकारी संगठनों का राज्य के विकास में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्धेश्य से एक राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद, जिसका नाम "स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद" होगा, का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
3.	माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन	सदस्य
4.	माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण	सदस्य
5.	माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
6.	माननीय मंत्री, जल संसाधन	सदस्य
7.	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	सदस्य
8.	माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
9.	माननीय मंत्री, आयोजना	सदस्य
10.	माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सदस्य
11.	उपाध्यक्ष, सीएमआरईएटीसी	सदस्य
12.	मुख्य सचिव	सदस्य
13.	स्वयंसेवी संस्था	सदस्य
14.	स्वयंसेवी संस्था	सदस्य
15.	शासन सचिव, आयोजना	सदस्य
16.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नांकित प्रकृति के प्रकरणों पर निर्णय ले सकेगी:–

(1) राज्य स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति की क्रियान्विति में मार्गदर्शन का कार्य करेगी। यह परिषद राज्य स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति को राज्य की सम्पूर्ण विकास नीति से जोड़ने का कार्य करेगी।

(2) राज्य के क्रमबद्ध विकास उद्देश्यों की प्राप्ति में स्वैच्छिक क्षेत्र के स्वस्थ योगदान की मॉनिटरिंग करेगी।

(3) स्वैच्छिक क्षेत्र की गतिविधियों के सुसंगत परिचालन हेतु सभी राजकीय विभागों, अभिकरणों एवं निजी क्षेत्र के सहयोग को सुनिश्चित करेगी।

(4) राज्य के विकास एवं नीति निर्धारण में स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देकर उन्हें योग्य बनाने तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी।

(5) स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास एवं दीर्घजीविता हेतु संसाधनों का सुसंगत संग्रहण एवं क्षमता में वृद्धि हेतु सम्भावित प्रयास करेगी।

(6) जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देने एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रभावी विकास हेतु अन्य आवश्यक गतिविधियों को प्रारम्भ करेगी।

यह सलाहकार परिषद स्थाई होगी, जिसका प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा।

आज्ञा से,

(नवीन जैन)
शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव।
5. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रीगण।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना